प्रेषक,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
रायबरेली/पीलीभीत/, बहराईच/फर्रूखाबाद/आजमगढ/लखीमपुर खीरी/गोरखपुर।

संख्या /प–2/3–डी–59/चारा/2013–14 दिनांक

विषय– चारा एवं चारागाह विकास की योजना (जि0यो0) वर्ष 2013–14 की निर्गत वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष कियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपरोक्त विषय अन्तर्गत अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या 2330(1)/37–2–2013–1(15)/07 दिनांक 03.10.2013 का अवलोकन करें, जो आपको सम्बोधित एवं अन्य के साथ अधोहस्ताक्षरी को पृष्ठांकित है, जिसके द्वारा आपके जनपद हेतु वर्ष 2013–14 में चारा एवं चारागाह विकास की योजना (जि0यो0) अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आपको इस कार्यालय के पत्र संख्य 364/प–2/3–डी–59/चारा/2012–13 दिनांक 11.04.2013 द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु (जिला योजना) अन्तर्गत अपने जनपद की जिला नियोजन समिति में चारा एवं चारागाह विकास (सामान्य) में परिव्यय की मॉग करते हुए परिव्यय निर्धारित कराने के निर्देश दिये गये थे। उक्त के सापेक्ष में आपको अवगत कराना है कि वर्ष 2013–14 हेतु चारा एवं चारागाह विकास की योजना (जि0यो0) आपके जनपद के लिए प्रस्तावित है। इस योजना के अंतर्गत ग्राम सभाओं में पुराने चारागाहों/बेकार पड़ी भूमि पर चारागाह विकास करने हेतु बहुवर्षीय चारा घासें/दलहनी घासें तथा चारा वृक्षों का रोपण कर उन्नतशील चारागाह विकास करना है। एक चारागाह एक हैक्टेयर भूमि में स्थापित कराया जायेगा। जिसमें जीवित पौधों से फैन्सिंग, आवश्यक कृषि निवेशों आदि और सिंचाई के निमित्त रू0 25000.00 के अंतर्गत सहायता उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है। एक चारागाह स्थापित करने हेतु विभिन्न मदों पर व्यय किये जाने का विवरण तालिका–1 में तथा जनपदवार चारागाह स्थापित करने का वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य तालिका–2 में अंकित किया गया है। चारागाह स्थापित किये जाने संबंधी स्वीकृति उक्त शासनादेश दिनांक 03.10.2013 द्वारा आवंटित की गयी है। आपके जनपद हेतु आवंटित धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। चारागाह स्थापित करने हेतु तालिका–1 में अंकित मदों के अनुसार ही की जायेगी। इसमें किसी प्रकार का विचलन मान्य नहीं होगा। आबंटित धनराशि के सापेक्ष जिला नियोजन समिति से परिव्यय स्वीकृत कराकर ही धनराशि व्यय की जाय। जब तक परिव्यय सुनिश्चित न हो तब तक धनराशि किसी भी दशा में व्यय न किया जाय।

1– निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार चारागाह स्थापित करने हेतु प्राथमिकता के आधार पर निम्नलिखित कार्यो का सम्पादन क्रमबद्ध ढंग से समय से किया जाय जिसके संबंध में क्षेत्रीय स्टाफ को अवगत करा दिया जाय।

2– संबंधित जनपद के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सा अधिकारी के सहयोग से ग्राम प्रधान की सहायता से स्थल का चयन करेगें।

3– ग्राम प्रधान समिति का गठन करके समिति के सदस्यों द्वारा ही चारागाह की स्थापना की जायेगी। वह ही चारागाह की सुरक्षा एवं देखभाल का कार्य करेगें। उसमें उत्पादित चारे का प्रयोग उस ग्राम सभा के चयनित कृषकों/पशुपालकों द्वारा किया जायेगा।

4– लाभार्थियों का चयन अविलम्ब कर लिया जाय तथा क्षेत्र का चिन्हांकन भी किया जाय जिससे इसी वित्तीय वर्ष में चारागाह विकास की कार्यवाही की जा सके।

(1) लाभार्थियों का चयन।
(2) चारा पेड़ों की पौधे की व्यवस्था।
(3) प्रस्तावित चारागाह क्षेत्र मे गढ्ढों का खुदान।
(4) क्षेत्र की तैयारी(भूमि की जुताई आदि)
(5) बीजों / उर्वरकों की व्यवस्था।
(6) क्षेत्र की जीवित पौधों से घेराव, (कटीले वृक्ष एवं झाडियां की कटिंग, रोपाई/बीज की बुआई)
(7) उर्वरकों का प्रयोग।
(8) संबंधित क्षेत्र के अनुसार बहुवर्षीय चारा/दलहनी चारा बीजों की बुआई।

5– घासों तथा चारा पेड़ों की आवश्यकतानुसार पूर्ति हेतु भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, झांसी तथा वन विभाग से सम्पर्क किया जा सकता है।

6– बहुवर्षीय चारा घासों/दलहनी चारा बीजों के क्रय हेतु राष्ट्रीय बीज विकास निगम, उ0प्र0 बीज विकास निगम, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, झांसी , केन्द्रीय बीज उत्पादन केन्द्र हसरघट्टा बंग्लौर, भारत सरकार के प्रक्षेत्रों /केन्द्रों/संस्थाओं आदि से सम्पर्क कर बीज की व्यवस्था की जा सकती है।

7– चारागाह विकास के अंतर्गत चारा पेड़ों एवे बहुवर्षीय घासों के बीज ही प्रयोग किये जायें।

8— ग्राम समाज की परती भूमि तथा ऐसी भूमि जो नहर /नदियों के किनारे जलभराव वाली भूमि है वहां पर बहुवर्षीय घासों/दलहनी घासों का प्रयोग किया जाय।

9— सिल्वी पाश्चर पद्धति द्वारा तैयार किये गये चारागाह में चक्रवत विधि से पशुओं की चराई करायी जाय। जिससे पशुओं को अधिक समय तक चारा प्राप्त हो सके।

10— सिल्वी पाश्चर पद्धति के माध्यम से तैयार किये गये चारागाह में छोटे पशुओं की चराई करायी जाय तथा बड़े पशुओं हेतु कटाई करके चारा प्राप्त किया जाय ताकि चारागाह में किसी प्रकार का नुकसान न हो।

11— ग्राम प्रधान द्वारा तैयार की गयी समिति के माध्यम से चारागाह स्थापना हेतु सभी आवश्यक सामग्री सी0वी0ओ0 द्वारा निःशुल्क आपूर्ति की जायेगी।

12— प्रदेश के चयनित जनपदों में 20 हैक्टेयर भूमि पर चारागाह की स्थापना की जायेगी।

13— चारागाह विकास में उपयोग होने वाली सामग्री का पूर्ण विवरण संबंधित जनपद के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारियों द्वारा पंजिका में दर्शाया जायेगा तथा प्रत्येक तिथि के कार्यकलापों का स्पष्ट विवरण अंकित किया जायेगा। यह पंजिका पशु चिकित्सालय मे भी रखी जायेगी तथा उच्च अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के समय उनके समक्ष प्रस्तुत की जायेगी । इस पंजिका में मासिक प्रगति प्रतिवेदन मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारियों के माध्यम से उप निदेशक, पशुपालन विभाग द्वारा निदेशालय को प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में प्रेषित की जायेगी। मासिक प्रगति, प्रतिवेदन तालिका–3 पर प्रस्तुत है।

14— **ग्राम/पंचायतों के लिए दिशा निर्देशः–**

अ— ग्राम पंचायत उन्नतशील चारागाह स्थापना अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा क्योकि इस चारागाह से उत्पादित हरा चारा उसी ग्राम सभा के पशुपालक ही अपने पशुओं को खिलाने के प्रयोग में लायेगें।

ब— चारागाह में केवल लघु पशओं को ही चराने की संस्तुति की जाती है। बड़े पशुओं के लिए चारागाह से चारा काटकर खिलाना होगा। ताकि चारागाह से अधिक अधिक से उत्पादन प्राप्त हो सके।

स— प्रथम वर्ष में चारागाह की विशेष देखभाल करनी चाहिए ताकि आवश्यकतानुसार सिंचाई तथा मृत चारा वृक्षों के स्थान पर पुनः नये जीवित पौधों का रोपण तथा जिन स्थानों पर चारा घासों का जमाव नहीं हुआ है वहां पर पुनः बीजों की बुआई करके अच्छी तरह से देखभाल करना होगा। 25 से 30 दिन के अंतराल में सिंचाई करना होगा।

द— जंगली एवं बाहरी पशुओं से सुरक्षा कटीली झाडियों (करौदा, कैकटस) का रोपण किया जाय।

घ— संबंधित पशु चिकित्सा अधिकारी/मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी चारागाह का नियमित रूप से समस्याओं का हल करने में ग्राम पंचायतों का आवश्यक सहयोग प्रदान करेगें।

योजना का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन–

योजना के सफल आयोजन का दायित्व संबंधित जनपद के पशु चिकित्सा अधिकारी/ मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारियों का होगा। योजना का अनुश्रवण संबंधित पशु चिकित्सा अधिकारी , मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी तथा मण्डलीय के अधिकारियों द्वारा समय समय पर किया जायेगा जिससे योजना की सफलता की संभावनायें अधिक रहे। इसके अतिरिक्त निदेशालय स्तर के अधिकारियों द्वारा चारागाह का स्थलीय निरीक्षण किया जायेगा।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार समय से कार्यवाही पूर्ण कर चारागाह की स्थापना कराये जिससे पशुपालकों को ग्राम समाज की परती भूमि में चारा उत्पादन करने में सफलता मिल सके।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(रूद्र प्रताप),
निदेशक।

प0सं0 /प–2/3–डी–59/चारा/2013–14 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1— संबंधित अपर निदेशक ग्रेड–।।, पशुपालन विभाग, लखनऊ, बरेली, देवीपाटन, कानपुर, आजमगढ़, गोरखपुर मण्डल को इस आशय से प्रेषित कि वह अपने मण्डल अंतर्गत जनपदों के योजना अंतर्गत स्वीकृत धनराशि के उपयोग/व्यय की सूचना तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

2— अनुसचिव, पशुधन अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय लखनऊ को उनके प0सं0 2330/37–2–2013–1(15)/07 दिनांक 03.10.2013 के कम में।

3— संयुक्त निदेशक (नियोजन) मुख्यालय।

4— वित्त एंव लेखाधिकारी (बजट) मुख्यालय।

(रूद्र प्रताप),
निदेशक।

तालिका–1

चारा एवं चारागाह विकास की योजना (जिला योजना) अंतर्गत चारागाह स्थापना (01 हैक्टेयर क्षेत्रफल का अनुमानित व्यय।

वर्ष 2013–2014

क0सं0	मद–43–सामग्री एवं सम्पूर्ति	प्रति हैक्टेयर धनराशि रू0 में
1	2	3
1	भूमि की तैयारी के अन्तर्गत जुताई एवं मेढबन्दी इत्यादि	2500.00
2	जीवित पौध के क्षेत्र के चारों ओर सुरक्षा, करौदा/कटली वृक्ष/झाडियों की कटंग तथा बीज आदि का मूल्य परिवहन सहित	2000.00
3	**बीज एवं पौध दर**	
	अ–चारा बीज 06.00 किग्रा0 तथा दलहन का बीज 04.00 किग्राम पर क्रमशः रू0 350.00 तथा 400.00 प्रति किग्रा0	3700.00
	ब–पुनः बुआई हेतु घास बीज 02.00 किग्रा0 तथा दलहन का बीज 01.00 किग्रा0	1100.00
	स–चारा पेड़ों 500 पौध दर रू0 10.00 प्रति पौध	5000.00
	द– पौध मृत होने पर पुनः रोपण हेतु 120 पौध पर रू0 10.00 प्रति पौध	1200.00
3	कीट नाशकों पर व्यय कीट नाशकों का क्रय	500.00
4	खाद एवं उर्वरकों पर व्यय	7000.00
5	सिंचाई पर व्यय फुहारा पर क्रय पेड़ो की हाथ से फसल सिंचाई, पानी का मूल्य आदि समस्त व्यय	2000.00
	कुल योग	**25000.00**

तालिका–2

चारा एवं चारागाह विकास की योजना (जिला योजना) अंतर्गत चारागाह स्थापना (01 हैक्टेयर क्षेत्रफल प्रति इकाई)

वर्ष 2013–2014

धनराशि रू0 हजार में

क0 सं0	जनपद का नाम	स्थापित किये जाने वाले चारागाह का लक्ष्य		वित्तीय लक्ष्य
		चारागाह की संख्या	क्षेत्रफल हैक्टेयर में	
1	2	3	4	5
1	रायबरेली	4	4	100.00
2	पीलीभीत	2	2	50.00
3	बहराईच	2	2	50.00
4	फर्रूखाबाद	2	2	50.00
5	आजमगढ	4	4	100.00
6	लखीमपुर खीरी	2	2	50.00
7	गोरखपुर	4	4	100.00
योग		20	20	500.00

तालिका–3

चारा एवं चारागाह विकास की योजना (जिला योजना) वर्ष 2013–14 के अंतर्गत चारागाह स्थापित करने का मासिक प्रगति प्रतिवेदन ।

वयनित कृषक तथा उसके पिता का नाम	पता, ग्राम व पोस्ट एवं जनपद	स्थापित चारागाह का क्षेत्रफल है0में	जीवित पौध से घेराव			कृषकों को भुगतान की गयी धनराशि रू0 में	आपूर्ति बीज कानाम
			आपूर्ति की गयी कटिंग बीज कानाम	मात्रा कु0में	धनराशि रू0 में		
1	2	3	4	5	6	7	8

बीज की मात्रा कुंतल में	धनराशि रू0 में	बुआई की तिथि	चारा पौधे का नाम	आपूर्ति चारे पौधे की संख्या	चारे पौधे की धनराशि रू0 में	चारे पौध लगाने की तिथि	आपूर्ति उर्वरक का नाम
9	10	11	12	13	14	15	16

आपूर्ति उर्वरक की मात्रा किग्रा0	धनराशि रू0 में	उर्वरक डालने की तिथि	आपूर्ति कीटनाशक का नाम	आपूर्ति कीट नाशक की मात्रा ली0 / केजी में	धनराशि रू0 में	कीटनाशक डालने की तिथि	व्यय धनराशि में घास दलहन चारा पौध की स्थिति
17	18	19	20	21	22	23	24

स्थापित चारागाह के संबंध में कृषकां की प्रतिकिया	चारा कटाई का दिनांक	चारा कटाई का क्षेत्रफल	चारा कटाई की मात्रा कुंतल में	स्थापित चारागाह का निरीक्षण					
				उपनिदेशक मण्डल	मु0प0चि0अ0	प0चि0अ0	प0प्र0अ0 / चारा निरी0	दिनांक	अधिकारी की अभ्युक्ति
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34